[This question paper contains 8 printed pages.]

7979 *Your Roll No.* .....

आपका अनुक्रमांक .....

LL.B./IV Term **ES**

Paper LB – 4032 : LABOUR LAW – II

Time : 3 Hours *Maximum Marks : 100*

समय : 3 घण्टे *पूर्णांक : 100*

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

(इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।)

Note :– Answers may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी :– इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेज़ी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

Attempt any **five** *questions.*
All *questions carry equal marks.*

कुल **पाँच** *प्रश्नों के उत्तर लिखिए।*
सभी *प्रश्नों के अंक समान हैं।*

P.T.O.

1. An industrial dispute was referred by the appropriate Government under section 10 of the I.D. Act, 1947 to an Industrial Tribunal. The tribunal gave its award. The award of the tribunal was not acceptable to the management and so it approached the Supreme Court under Art. 136 of the Constitution of India to obtain special leave to appeal against the award of the Industrial Tribunal. The workmen contended before the Supreme Court that under section 17(2) the award of the tribunal is final and cannot be called in question by any court in any manner whatsoever. Is the contention of the workman valid? Discuss. Also discuss other legal remedies available against the award of the industrial tribunal.

समुचित सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 के अन्तर्गत एक औद्योगिक विवाद को औद्योगिक अधिकरण को निर्दिष्ट किया था। अधिकरण ने अपना अधिनिर्णय दे दिया। अधिकरण का अधिनिर्णय प्रबन्धकवर्ग को स्वीकार्य नहीं था। अतः उन्होंने औद्योगिक अधिकरण के अधिनिर्णय के विरूद्ध अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्राप्त करने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय से सम्पर्क किया। कर्मकारों ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रतिविरोध किया कि धारा 17(2) के अन्तर्गत अधिकरण का अधिनिर्णय फाइनल है तथा उस पर किसी भी न्यायालय में किसी भी रूप में कैसा ही भी सन्देह नहीं किया जा सकता। क्या कर्मकारों का प्रतिविरोध विधिमान्य है ? विवेचन कीजिए। औद्योगिक अधिकरण के अधिनिर्णय के विरूद्ध उपलब्ध अन्य विधिक उपचार का भी विवेचन कीजिए।

2. The power of reference of the appropriate government under section 10(1) of the I.D. Act, 1947 is administrative in nature. However, the discretionary power of the appropriate government is not unguided and absolute. Under what circumstances and how is the power controlled by the process of judicial review ? Support your answer with decided cases.

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(1) के अन्तर्गत समुचित सरकार की निर्देश की शक्ति प्रशासनिक प्रकृति की होती है। मगर समुचित सरकार की विवेकाधीन शक्ति अनियंत्रित तथा आत्यंतिक नहीं है। किन परिस्थितियों में तथा किस प्रकार यह शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित की जाती है ? विनिश्चित केसों से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।

3. "It is neither possible nor advisable to evolve a hard and fast straight-jacket formulae valid for all cases and of general application without regard to the particulars of individual situations as to whether there should or should not be simultaneity the disciplinary proceedings as also a criminal prosecution."

Discuss in the light of Judicial precedents.

"इस बारे में कि अनुशासनिक कार्यवाहियों तथा दांडिक अभियोजन में क्या समकालिता होनी चाहिए अथवा नहीं होनी चाहिए - सभी केसों हेतु वैध, पक्का तथा निश्चित कड़े प्रतिबंध वाला और व्यक्तिगत स्थितियों की विशिष्टियों का ध्यान रखे बिना तथा सामान्य अनुप्रयोग वाला फार्मूला विकसित किया जाना न तो संभव है और न ही परामार्श्य है।"

न्यायिक पूर्वनिर्णयों को ध्यान में रखते हुए विवेचन कीजिए।

4. On a reference of the dispute of wage structure in DOD Ltd., the industrial tribunal sent its award to the appropriate government on 1.1.2015 holding that workman were entitled to 30% wage hike. The government received the award on 5.1.2015 and the same was published in the gazette on 15.2.2015. The management contends that the award has become invalid under S.17(1) of the I.D. Act, 1947 and the same cannot be enforced against it.

(a) Can the management succeed in their contention ?

(b) In case, after the submission of the award by the industrial tribunal to the appropriate government but before the publication of the award within the time stipulated under section 17(1), the management of DOD Ltd., and the workmen arrive at a settlement that the workmen will be entitled

to 25% wage hike and both the parties approach the government for not publishing the award in view of their settlement. Would it still be obligatory on the government to publish the award ?

DOD Ltd. में मजदूरी ढाँचे के विवाद के निर्देश पर औद्योगिक अधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करते हुए 1.1.2015 को समुचित सरकार को अपना अधिनिर्णय भेजा कि कर्मकार मजदूरी में 30% वृद्धि के हक़दार हैं। सरकार ने अधिनिर्णय 5.1.2015 को प्राप्त किया जिसे 15.2.2015 को गज़ट में प्रकाशित किया गया। प्रबन्धकवर्ग प्रतिवाद करते हैं कि अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17(1) के अन्तर्गत अवैध हो गया जिसे उनके विरूद्ध प्रवृत्त नहीं किया जा सकता है।

(क) क्या प्रबन्धकवर्ग अपने प्रतिवाद सफल हो सकते हैं ?

(ख) यदि, औद्योगिक अधिकरण द्वारा समुचित सरकार को अधिनिर्णय सौंपे जाने के बाद किन्तु धारा 17(1) के अन्तर्गत निश्चित किए गए समय के भीतर अधिनिर्णय के प्रकाशन से पहले DOD Ltd. के प्रबन्धकवर्ग और कर्मकार समझौता कर लेते हैं कि कर्मकार मजदूरी में 25% की वृद्धि के हक़दार होंगे और दोनों पक्षकार उनके बीच हुए समझौते को दृष्टि में रखकर अधिनिर्णय को प्रकाशित न करने हेतु सरकार से सम्पर्क कर लेते हैं तो क्या सरकार के लिए अधिनिर्णय को प्रकाशित तब भी बाध्यकारी होगा ?

5. Write short notes on any **two** of the following :

(a) Works Committee

(b) Distinction between the institution of 'Conciliation officer' and 'Board of Conciliation' under I.D. Act 1947

(c) Section 33 of the I.D. Act, 1947

निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(क) संकर्म समिति

(ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत 'सुलह अधिकारी' की संस्था और 'सुलह का बोर्ड' के बीच सुभेद स्पष्ट कीजिए।

(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33

6. What was the purpose in inserting section 11-A in the Industrial Disputes Act, 1947 ? Discuss in the light of decided cases legal position prior to and after the insertion of Section 11-A in the I.D. Act, 1947 relating to jurisdiction of the Industrial Tribunal.

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में धारा 11-A को अन्तःस्थापित करने का क्या प्रयोजन था ? औद्योगिक अधिकरण की अधिकारिता के सम्बन्ध में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में धारा 11-A की अन्तःस्थापना के पूर्व और पश्च विधिक स्थिति का विनिश्चित केसों को ध्यान में रखते हुए विवेचन कीजिए।

7. (a) Can the employer revise wage structure of its workmen to their prejudice ?

(b) What criteria would you apply in determining whether the wage structure in any particular industry is fair wage or not ? What is living wage.

(क) क्या नियोक्ता अपने कर्मकारों की मजदूरी के ढांचे को उनके प्रतिकूल परिशोधित कर सकता है ?

(ख) यह अवधारित करने में आप क्या कसौटी लागू करोगे क्या उद्योग विशेष में मजदूरी ढांचा उचित मजदूरी है या नहीं ? निर्वाह मजदूरी क्या होती है ?

8. Elucidate the following statement with the help of decided cases :

"An employer is liable to pay compensation for any personal injury caused to a workman by an accident arising out of and in cause of his employment. And the premises of the employer have got to be extended both in time and place with the help of the doctrine of Notional Extension for the purpose of Employer's Liability."

विनिश्चित केसों की सहायता से निम्नलिखित कथन की व्याख्या कीजिए :

"नियोक्ता किसी कर्मकार को उसके रोजगार से प्रोदभूत और उसके अनुक्रम में होने वाली दुर्घटना द्वारा कर्मकार को कारित किसी भी वैयक्तिक क्षति के वास्ते प्रतिकर संदाय करने के दायित्व के अधीन है । और नियोक्ता के परिसर को नियोक्ता की दायित्वाधीनता के प्रयोजन हेतु धारणात्मक विस्तार के सिद्धान्त की सहायता से समय और स्थान दोनों दृष्टि से विस्तार देना पड़ता है ।"